निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश

उद्यान भवन, 2-सप्रू मार्ग, लखनऊ - 226001
☎ 0522- 4072539,4044414 Fax: 0522-2621382, E-mail : nmmiup@gmail.com

पत्रांक : 156 / MI-AAP/PMKSY/2022-23 दिनांक : 11 अगस्त, 2022

1. समस्त नामित मण्डलीय नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. मण्डलीय उपनिदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।

विषयः <u>पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) योजनान्तर्गत कृषक प्रक्षेत्रों पर स्थापित/आपूर्तित ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के स्थलीय सत्यापन निर्धारित चेक बिन्दुओं के अनुसार कराये जाने विषयक।</u>

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) योजना भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की एक फ्लैगशिप एवं प्राथमिकता परक योजना है जिसका क्रियान्वयन बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल में समान रूप से ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के विस्तृत अंगीकरण हेतु लागू है। योजना के गुणवत्ता परक क्रियान्वयन एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप पद्धति की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं के चेक लिस्ट तैयार किये गये हैं ताकि फील्ड स्तर पर मण्डलीय नोडल अधिकारियों/मण्डलीय उपनिदेशक उद्यान अथवा विभागीय स्तर पर नामित अन्य निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा इन बिन्दुओं को समावेशित करते हुए निरीक्षण/सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाय।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषक प्रक्षेत्रों पर स्थापित/आपूर्तित ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के स्थलीय सत्यापन हेतु निर्धारित चेक बिन्दुओं पर प्रत्येक माह निरीक्षण/सत्यापन आख्या उपनिदेशक सांख्यिकी अनुभाग की ई-मेल ddstats001@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। कृपया इसे सर्वोच्य प्राथमिकता देते हुए सत्यापन/निरीक्षण कार्यों की निरन्तरता बनाये रखें। आपके सुलभ-संदर्भ हेतु सत्यापन के लिए चेक लिस्ट संलग्न है।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

(आर.के. तोमर)
निदेशक

पृष्ठांकन सं0......156..........................तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. उपनिदेशक (सांख्यिकी) निदेशालय, लखनऊ को मासिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।

(आर.के. तोमर)
निदेशक

सत्यापन चेक लिस्ट

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश

पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) के अन्तर्गत स्थापित ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के स्थलीय सत्यापन हेतु चेक लिस्ट

लाभार्थी का नाम.................... ग्राम.............विकासखण्ड.............. जनपद..................मोबाइल नं................

क्र.सं.	बिन्दु	आख्या
1	प्रथम-आवक प्रथम-पावक के आधार पर कृषक का चयन, आन लाइन स्वीकृत आदेश एवं निदेशालय के पत्रांक 321 दिनंक 09.01.2022 द्वारा निर्गत निर्देशों का परिपालन।	
2	जनपदीय उद्यान अधिकारी के स्तर से आन लाइन स्वीकृति आदेशों का निर्गमन।	
3	शासनादेश संख्या 32/2022-1240/58-2022-429/2015 दिनांक 30.06.2022 के प्रस्तर-9(iii) के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति की संतोषजनक रिपोर्ट के उपरान्त भुगतान की प्रक्रिया का अनुपालन।	
4	योजनार्न्तगत आच्छादित क्षेत्रफल (क) अभिलेखों के अनुसार क्षेत्रफल आच्छादन.... हे. (ख) सत्यापित क्षेत्रफल..... हे.	
5	भारत सरकार के BHUVAN प्लेटफॉर्म पर जियो टैगिंग की स्थिति।	
6	डी.बी.टी. प्रक्रिया के अनुसार लाभार्थी कृषकों के खाते में सीधे अनुदान अन्तरण की कार्यवाही।	
7	स्थलीय सत्यापन में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए बिल के सापेक्ष आपूर्तित सामग्री का विवरण निर्दिष्ट बी.आई.एस. मानकों के अनुसार।	

	Component Description	BIS	वैधता अवधि
i	Laterals	IS 12786: 1989 (reaffirmed 2009)	
ii	Emitters	IS 13487: 1992 (reaffirmed 2009)	
iii	Emitting pipes system	IS 13488: 2008 (reaffirmed 2014)	
iv	Strainer type filters	IS 12785: 1994 (reaffirmed 2011)	
v	rotating sprinkler Part I,	IS 12232 (Part I)-1996 (reaffirmed 2011)	
vi	rotating sprinkler Part 2	S 12232 (Part 2)-1995 (reaffirmed 2011)	
vii	Venturi Injector	IS 14483 (Part 1)1997 (reaffirmed 2009)	
viii	Media Filters	IS 14606: 1998 (reaffirmed 2009)	
ix	Hydro cyclone filter	IS 14743: 1999 (reaffirmed 2009)	
x	Unplasticized PVC pipes	IS 4985 – 2000	
xi	Sprinkler pipes -Specifications Part II	IS I4151 (part II) 2008 (reaffirmed 2014)	
xii	High Density Polyethylene Pipes	IS 4984 : 1995 (reaffirmed 2002)	

क्र.सं.	बिन्दु	आख्या
8	ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए क्रमशः एच.डी.पी.ई तथा पी.वी.सी पाइप का मानक के अनुसार आपूर्ति एवं उपयोग।	
9	निर्धारित इकाई लागत पर अनुदान की गणना तथा इकाई लागत पर अलग से नियमानुसर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) भुगतान।	
10	निर्माता फर्मो/उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा प्रस्तुत बिलों का शत-प्रतिशत ऑथेंटिकेशन निर्माता फर्म के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जाना।	
11	निर्माता फर्मो/उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा कृषक अंश की पावती रसीद।	
12	निर्माता फर्मो/उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई की तकनीकी जानकारी तथा ऑफ्टर सेल्स की सुविधा लाभार्थी कृषक को दिया जाना।	
13	स्थलीय सत्यापन/निरीक्षण का फोटोग्राफ (लाभार्थी के साथ हेड यूनिट एवं प्रक्षेत्र)	
14	स्थापित पद्धति की स्थिति (चालू हालत में संतोषजनक/अन्यथा की स्थिति में असंतोषजनक)	

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर.........

नाम..............................

पदनाम...........................

दिनांक...........................